

इक्वटी आश्वासन योजना

उत्तरदायित्व	की जाने वाली कार्रवाई	समयावधि	प्रबोधन संकेतन
योजना कार्रवाई #1: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लाभवंचित समूहों हेतु वृत्तिका का समयानुसार भुगतान			
श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर परियोजना-संबंधी विभाग	राज्य सरकार के विभागों को वृत्तिका के भुगतान हेतु निदेश जारी करना कि तथा वृत्तिकाओं के समय पर एवं पूर्ण भुगतान हेतु करार (राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन) करना	परियोजना के प्रभावीकरण से पूर्व	इस करार सहित अनुदेश पत्र तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एसपीआईयू: वृत्तिका प्रदान कर राज्य-स्तर के विभागों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करना एनपीआईयू: सहायता एवं पर्यवेक्षण करना	राज्य स्तर के विभागों द्वारा वृत्तिकाओं का समय पर भुगतान किया जाए राज्यों द्वारा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को छमाही रिपोर्ट में स्थिति तथा कार्रवाई की सूचना भेजी जाए	परियोजना के प्रभावीकरण के 6 माह के भीतर तथा तत्पश्चात उसे बनाए रखना	आदिनांक पूर्ण वृत्तिका पाने वाले पात्र प्रशिक्षुओं का प्रतिशत
योजना कार्रवाई # 2: लाभवंचित विद्यार्थियों पर लागत का वहन कम करना			
एस पी आई यू तथा एन पी आई यू	राज्य स्तर पर अनु.जा./अनु.ज.जा./गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों को दी जाने वाली वृत्तिका में वृद्धि की संभावना तलाश करना	परियोजना के प्रभावीकरण से 6 माह के भीतर	मुद्दे पर विचार विमर्श तथा बैंक द्वारा प्रथम प्रगति समीक्षा मिशन में अनुवर्ती कार्रवाई योजना; तत्पश्चात् जिस कार्रवाई पर सहमति हुई है उसका कार्यान्वयन
औ.प्र.सं. तथा एस पी आई यू : एन पी आई यू: सहायता एवं पर्यवेक्षण करना	अनु.जा./अनु.ज.जा./गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों पर लागत भार घटाया जाए	परियोजना के प्रभावीकरण से 18 माह के भीतर तथा तत्पश्चात उसे बनाए रखना	लागत भार घटाने पर सहमत कार्रवाई की गई।
योजना कार्रवाई # 3: लाभवंचित समूहों से प्रशिक्षकों की भर्ती में वृद्धि			
एस पी आई यू: एन पी आई यू: पर्यवेक्षण करना	राज्य सरकारों द्वारा आरक्षित पदों सहित अनुदेशक के अधिकतम	परियोजना के प्रभावीकरण से 12 माह के भीतर तथा तत्पश्चात उसे	अनुदेशकों पर एम आई एस से ब्यौरा अर्थात् सामान्य तथा

	पदों का भरना सुनिश्चित करना। पात्र अनु.जा./अनु.ज.जा. अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय कदमों सहित लाभवंचित समूहों की भर्ती बढ़ाने के लिए राज्य नीतियों के अनुसार कदम उठाना।	बनाए रखना जारी	लाभवंचित सभी समूहों के पदों के भरे जाने का प्रतिशत
योजना कार्रवाई # 4: सभी विद्यार्थियों को आजीविका परामर्श प्रदान किया गया (विशेषकर लाभवंचित समूह एवं महिलाएं)			
संस्थागत विकास योजनाओं के माध्यम से औ.प्र.सं. तथा एस पी आई यू	भाग लेने वाले समस्त औ.प्र.सं. के पास प्रशिक्षण, आजीविका तथा नियोजन अधिकारियों (टी सी पी ओ) का होना अनिवार्य। भर्ती एवं अधिकार पर कार्रवाई शामिल करते हुए टी सी पी ओ हेतु कार्य योजनाएं विकसित करना तथा जरूरतमंद छात्रों हेतु सतत प्रयास	परियोजना के प्रभावी होने से पूर्व ही आई डी पी आरंभ करने हेतु तैयार करना	टी सी पी ओ नियुक्त तथा कार्य योजनाएं तैयार। लाभ पाने वाले विद्यार्थियों विशेषकर अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत
योजना कार्रवाई # 5: गैर परंपरागत व्यवसायों में महिलाओं का अधिक नामांकन एवं सभी औ.प्र.संस्थानों में महिलाओं की रूची के व्यवसायों में वृद्धि			
संस्थागत विकास योजनाओं के माध्यम से एस पी आई यू तथा आई टी आईज	गैर परंपरागत व्यवसायों (साथ ही महिलाओं की रूचि के व्यवसाय) में महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए योजनाएं विकसित करने के लिए समस्त भागीदार राज्यों द्वारा औ.प्र.संस्थानों की सहायता	परियोजना के प्रभावीकरण से पूर्व आई डी पी आरंभ करने हेतु तैयार करना	गैर-परंपरागत व्यवसायों में महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत (एम आई एस के माध्यम से व्यवसाय-वार प्रबोधित किया जाना)
नवप्रवर्तन निधि (आई एफ) से निधियों के अनुप्रयोग के माध्यम से एस पी आई यू	महिलाओं हेतु गैर-परंपरागत पाठ्यक्रमों के विस्तार हेतु नवप्रवर्तन निधि द्वारा वित्तपोषित पाईलट कार्यक्रम	आई एफ हेतु आवेदन प्रथम वर्ष में आरंभ होंगे	आई एफ द्वारा वित्तपोषित पाईलट कार्यक्रम अनुमोदित
योजना कार्रवाई # 6 : औ.प्र.संस्थानों में स्व रोजगार पाठ्यक्रम सुदृढ़ किए गए (सभी विद्यार्थियों के लिए)			

आई टी आई तथा एस पी आई यू एन पी आई यू: निरीक्षण करना	स्व-रोजगार पर पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यचर्या के सुदृढीकरण हेतु उपयुक्त पाठ्यचर्या सामग्री विकसित करना	परियोजना के प्रभावीकरण के 2 वर्ष के भीतर सुदृढ स्व-रोजगार पाठ्यचर्या का पूर्ण विकास	पाठ्यचर्या की राज्य द्वारा समीक्षा पूर्ण की गई। स्व-रोजगार पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या सुदृढ की गई।
आई टी आईज	स्व-रोजगार पाठ्यक्रमों तथा औ.प्र.संस्थानों में चलाई जाने वाली अन्य संवर्द्धक गतिविधियों का सुदृढीकरण	परियोजना के प्रभावीकरण के 2 वर्ष के भीतर आरंभ करना	सुदृढ स्व-रोजगार पाठ्यक्रमों/संवर्द्धक कार्रवाई आरंभ करने वाले औ.प्र.संस्थानों की संख्या; इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने वाले प्रशिक्षुओं का प्रतिशत
योजना कार्रवाई #7 : कमजोर विद्यार्थियों को ब्रिज पाठ्यक्रम तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया गया।			
एस पी आई यू एन पी आई यू: पर्यवेक्षण करना	उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए उपायों को शामिल करने के लिए औ.प्र.सं. के अनुदेशकों हेतु प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण की समीक्षा।	परियोजना के प्रभावीकरण के 2 वर्ष के भीतर	समीक्षा की पूर्णता तथा उपचारात्मक शिक्षण हेतु सिफारिशें उपचारात्मक शिक्षण में प्रशिक्षण पाने वाले अनुदेशकों की संख्या
आई डी पी के माध्यम से औ.प्र.सं. एस पी आई यू एवं एन पी आई यू: पर्यवेक्षण करना।	औ.प्र.संस्थानों द्वारा कमजोर विद्यार्थियों हेतु ब्रिज पाठ्यक्रम तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना।	प्रभावीकरण के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके उपरांत इसे बनाए रखना	ब्रिज पाठ्यक्रम तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने वाले औ.प्र.संस्थानों की संख्या ब्रिज पाठ्यक्रम तथा उपचारात्मक शिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं का प्रतिशत।